तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8617/2006/टोंक रामनिवास बनाम नन्दा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.पी. सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं.–1 से 17
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 18 से 24

आदेश

दिनांक 27.04.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् दिलाये जाने पुलिस इमदाद को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया कि उनके निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है जबकि उक्त अपील में अप्रार्थीगण द्वारा चाहा गया स्थगन आदेश भी राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8–12–2005 को खारिज कर दिया। अर्थात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पर किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया, ना ही उक्त निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति को स्थगित किया गया है। उनका कथन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8617/2006/टोंक रामनिवास बनाम नन्दा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के प्रभाव में रहने के बावजूद अप्रार्थीगण लठ के बल पर आये दिन प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी क पास पुलिस इमदाद के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। उनका कथन है कि प्रार्थी विवादित आराजी का राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार होकर काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय की डिक्री के बावजूद भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते चले आ रहे है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एव विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए निगराधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश दिनांक 20–11–2006 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् दिलाये जाने पुलिस इमदाद को स्वीकार किया जावे।

योग्य अधिवक्तागण अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील लम्बित है, अपील के लम्बित रहते प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर पुलिस इमदाद प्राप्त नहीं कर सकता है। उनका कथन है कि उनके पक्षकार द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण प्रार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8617/2006/टोंक रामनिवास बनाम नन्दा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का मूल वाद प्रस्तुत किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण वादीगण की ओर से विवादित आराजी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत दोनों दावों को निर्णय दिनांक 31–7–2004 से निर्णीत करते हुए वादीगण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है। अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् दिलाये जाने पुलिस इमदाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निगराधीन आदेश से यह मानते हुए कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–07–2004 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील लम्बित है, प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी में उल्लेखित अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है। प्रार्थी यदि अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे प्रताडित या आपराधिक अतिचार से व्यथित है तो स्वयं पुलिस में शिकायत प्रस्तुत कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी को निगरानी के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8617/2006/टोंक रामनिवास बनाम नन्दा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे आपराधिक अतिचार से प्रार्थी व्यथित है तो स्वयं पुलिस में शिकायत प्रस्तुत कर पुलिस इमदाद प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य